रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 8, 2018/माघ 17, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 461
No. 2] DELHI, THURSDAYT, MARCH 8, 2018/PHALGUNA 17, 1939 [N.C.T.D. No. 461

भाग—III
PART—III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

शुद्धि–पत्र

दिल्ली, 7 मार्च 2018

सं. एफ.17(85)/डीईआरसी/इंजि./2017–18/5855/2807—दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2018, एनसीटीडी नं. 447 दिनांकित 16–02–2018 को दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग– III, द्वारा अधिसूचित किया गया है।

2. इस विनियम में विसंगतियां पाई गई हैं जिन्हें निम्नलिखित शुद्धिपत्र के द्वारा सुधार करने की आवश्यकता है:

पृष्ठ 1 **पहला अनुच्छेद में : सं.एफ.17(85)/डीईआरसी/इंजि./2017–18/5855/2661**– दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2017 के क्रियान्वयन में अधिक स्पष्टता और सुगमता लाने के लिए, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2017 के विनियम 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और पिछले प्रकाशन के बाद एवं उसके निमित्त सक्षम करने की अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2018 (इसके बाद ''प्रमुख विनियम'' कहा जाएगा) के निम्नलिखित विनियमों में संशोधन किया जाता है:

को पढ़ा जाये : सं. एफ.17 (85)/डीईआरसी/इंजि./2017–18/5855/2661– दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2017 के क्रियान्वयन में अधिक स्पष्टता और सुगमता लाने के लिए, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2017 के विनियम 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और पिछले प्रकाशन के बाद एवं उसके निमित्त सक्षम करने की अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2017 (इसके बाद ''प्रमुख विनियम'' कहा जाएगा) के निम्नलिखित विनियमों में संशोधन किया जाता है:

3 यह शुद्धिपत्र आयोग के अनुमोदन पर जारी किया गया है।

सुरेंद्रा इडुपघंटी, सचिव

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

CORRIGENDUM

Delhi, the 7th March, 2018

No. F.17(85)/DERC/Engg./2017-18/5855/2807—Whereas Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) (First Amendment) Regulations, 2018, have been notified vide Delhi Gazette Extraordinary Part-III dated 16-02-2018, NCTD No. 447.

2. Whereas certain discrepancies have been observed the said Regulations, which need to be rectified by issuing following corrigendum:

At **Page 1** in the First Paragraph:

For : "No. F.17(85)/DERC/Engg./2017-18/5855/2661 – In order to bring more clarity and ease in implementation of the Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017, the Delhi Electricity Regulatory Commission, in exercise of the powers conferred by Regulation 87 of the Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017 and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, hereby makes the following Regulations to amend the Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2018 (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"):

Read: "No. F.17(85)/DERC/Engg./2017-18/5855/2661 – In order to bring more clarity and ease in implementation of the Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017, the Delhi Electricity Regulatory Commission, in exercise of the powers conferred by Regulation 87 of the Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017 and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, hereby makes the following Regulations to amend the Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"):

3. This Corrigendum issued with the approval of the Commission.

SURENDRA EDUPGHANTI, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.03.12 10:53:04 +05'30'